रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 भारत सरकार REGD. No. G-3/DL (N) 04/0009/2003—05

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 13] दिल्ली, सितम्बर 13—सितम्बर 19, 2019, बृहस्पतिवार/भाद्र 22—भाद्र 28, 1941

No. 13] DELHI, SEPTEMBER 13—SEPTEMBER 19, 2019, THURSDAY/BHADRA 22— BHADRA 28, 1941

भाग—II–II
PART–II–II

सर्किट, सिविल और दण्ड न्यायालय द्वारा जारी की गई सूचनाएं
Notices of the Circuit, Civil and Criminal Courts

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 की धारा 37 के अंतर्गत घोषणा

समक्ष न्यायालय श्री अंकित सिंगला, दिवालिया न्यायाधीश, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, रूम नं. 12, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली

वसूली वाद नं. 02/2016

श्रीमती कृष्णा सचदेवा ..... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

केनरा बैंक एवं अन्य..... उतरदातागण

एततद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कॉलम नं. 2 में वर्णित याचिकाकर्ता ने स्वंय को कॉलम नं. 3 में वर्णित उतरदातागण के विरूद्ध दिवालिया के रूप में निर्णय करने के लिए आवेदन किया है । उपरोक्त याचिकाकर्ता को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2011 के द्वारा दिवालिया के रूप में निधारित किया गया है ।

सभी ऋण राशियां एम एस शूज ईस्ट लिमिटिड द्वारा ली गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने गारंटी दी थी तथा इस प्रकार वह उतरदायी था । उपरोक्त याचिका के लम्बित होने के दोरान उपरोक्त कंपनी ने विभिन्न/उतरदातगण को दी जाने वाली सभी देयताओं का भुगतान एक बार के भुगतान में कर दिया था । अतः याचिकाकर्ता का उतरदायित्व भी समाप्त होता है ।

जनसमूह को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दिवालिया के रूप में घोषित करने वाले आदेश को रदद करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था । जिसके अनुसार आदेश दिनांकित 26.11.2011 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिवालिया घोषित किया गया था, को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2016 के द्वारा रदद किया गया ।

निम्नलिखित नामो में से कोई भी व्यक्ति, जो विरोध करना चाहता हो, इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले से नियत तिथि यानी 31.10.2019 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो सकता है ।

1. वाद नं. : वसूली वाद सं. 02/2016

2. पक्षकारों के नाम :

श्रीमती कृष्णा सचदेवा (स्वंय के लिए तथा साथ ही मैर्सस यूरो एक्सपोर्टस की प्रोपराईटर के रूप में), पत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल सचदेवा, 35–बी, पॉकेट एफ जी–1 विकासपुरी, नई दिल्ली ।

3. उतरदातागण

1. केनरा बैंक, 112, जे सी रोड, बैंगलोर 560002 (कर्नाटक)
2. इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई डी बी आई टावर, कफ पैरेड, मुम्बई –400006
3. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटिड, 758, अन्ना सलाई, चैन्नई 60002
4. इंडस्ट्रीयल फाईनेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, आई एफ सी आई बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
5. यू टी आई बैंक लिमिटिड, मेकर टावर–एफ, 13वां फ्लोर, कफ पैरेड, कोलाबा, मुम्बई 400005
6. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, यशवंत निवास रोड, इंदौर 452003
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रवांकुर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमप्लेक्स, पुजापुरा, त्रिवंदरूम –695012
8. इंडियन बैंक, 31, राजा जी सलाई , चैन्नई – 600001 (तमिलनाडू)
9. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हर्षा भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली– 110001

आज दिनांक 31 अगस्त 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मोहर के अंतर्गत दिया गया ।

हस्ताक्षर

(अंकित सिंगला)

दिवालिया न्यायाधीश, अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश संरक्षण न्यायाधीश (केन्द्रीय) सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, रूम नं. 12, भूतल, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली

न्यायालय की मोहर

[विज्ञापन ए/II/II/08/2019]

PROCLAMATION UNDER SECTION 37 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920

In the Court of Shri Ankit Singla, Insolvency Judge, Central District, Room No. 12, Tis Hazari Courts, Delhi

Rec Case No. 02/2016_

Smt. Krishna Sachdeva ---------- Petitioner

Versus

Canara Bank & Ors. ---------Respondents

Notice is hereby given that the Petitioner mentioned in column No.2 had applied for adjudging herself as an insolvent against the Respondents mentioned in column No. 3. The aforesaid petitioner was adjudged as an insolvent vide order dated 26.11.2011 passed in the aforesaid petition.

All the loans had been taken by M S Shoes East Ltd. in which the Petitioner had stood as a guarantor/ pledger and was liable as such. During the pendency of the aforesaid petition, the said company has already cleared all the dues towards various banks/ Respondents in one time settlement. Hence, the liability of the Petitioner also stands discharged.

Public at large is hereby informed that an application for annulment of order of adjudicating the Petitioner an insolvent was moved. Accordingly, the order dated 26.11.2011, by which the Petitioner was adjudicated as an insolvent, was annulled vide order dated 07.01.2016 passed in the aforesaid petition.

Any person including the names given below, if wishes to oppose, may appear before this Court either in person or through any pleader on the date already fixed before the Court i.e. 31.10.2019 at 10:00 AM.

1. Suit No.: Rec Case No. 02/2016

2. Name of the Parties:

Smt. Krishna Sachdeva (for herself & also as proprietor of M/s Euro Exports) w/o Late Sh. Madan Lal Sachdeva, 35-B, Pocket FG-1, Block- F, Vikaspuri, New Delhi- 110018

3. Respondents:

1. Canara Bank, 112, J.C. Road, Bangalore- 560 002 (Karanatka).
2. Industrial Development Bank of India, IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai- 400 006.
3. Bank of Madura Ltd., 758, Anna Salai, Chennai- 600 002.
4. Industrial Finance Corporation of India, IFCI Tower, 61, Nehru Place, New Delhi- 110019.
5. UTI Bank Ltd., Maker Tower "F", 13th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai- 400 005.
6. State Bank of Indore, Yaswant Niwas Road, Indore- 452 003.
7. State Bank of Travancore, New Administrative Complex, Puzhapura, Trivandrum- 695 012.
8. Indian Bank, 31, Rajaji Salai, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
9. Oriental Bank of Commerce, Harsha Bhawan, 'E' Block, Connaught Circus, New Delhi-110 001.

Given under my hand and the seal of the Court on this the 31st August, 2019.

Sd/-

(ANKIT SINGLA)

JSCC-ASCS- Guardian Judge , Insolvency Judge, Central District, Room No. 12,

Tis Hazari Courts, Delhi.

Seal of the Court

[ADVT-A/II/II/08/2019]

प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 की धारा 37 के अंतर्गत घोषणा
समक्ष न्यायालय श्री अंकित सिंगला, दिवालिया न्यायाधीश, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, रूम नं. 12, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली
वसूली वाद नं. 03/2016

श्रीमती साधना सचदेवा ..... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

इलाहबाद बैंक एवं अन्य..... उतरदातागण

एततद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कॉलम नं. 2 में वर्णित याचिकाकर्ता ने स्वंय को कॉलम नं. 3 में वर्णित उतरदातागण के विरूद्ध दिवालिया के रूप में निर्णय करने के लिए आवेदन किया है । उपरोक्त याचिकाकर्ता को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2011 के द्वारा दिवालिया के रूप में निधारित किया गया है ।

सभी ऋण राशियां एम एस शूज ईस्ट लिमिटिड द्वारा ली गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने गारंटी दी थी तथा इस प्रकार वह उतरदायी था । उपरोक्त याचिका के लम्बित होने के दौरान उपरोक्त कंपनी ने विभिन्न/उतरदातगण को दी जाने वाली सभी देयताओं का भुगतान एक बार के भुगतान में कर दिया था । अतः याचिकाकर्ता का उतरदायित्व भी समाप्त होता है ।

जनसमूह को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दिवालिया के रूप में घोषित करने वाले आदेश को रदद करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था । जिसके अनुसार आदेश दिनांकित 26.11.2011 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिवालिया घोषित किया गया था, को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2016 के द्वारा रदद किया गया ।

निम्नलिखित नामो में से कोई भी व्यक्ति, जो विरोध करना चाहता हो, इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले से नियत तिथि यानी 31.10.2019 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो सकता है ।

1. वाद नं. : वसूली वाद सं. 03/2016

2. पक्षकारों के नाम :

श्रीमती साधना सचदेवा (स्वंय के लिए तथा साथ ही मैर्सस तुलिपस की प्रोपराईटर के रूप में), पत्नी स्वर्गीय श्री मदन लाल सचदेवा, 35–बी, पॉकेट एफ जी–1 विकासपुरी, नई दिल्ली 110018।

3. उतरदातागण

1. इलाहाबाद बैंक, 2–नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता–700001

2. केनरा बैंक, 112, जे सी रोड, बैंगलोर 560002 (कर्नाटक)

3. इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई डी बी आई टावर, कफ पैरेड, मुम्बई–400006

4. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटिड, 758, अन्ना सलाई, चैन्नई 60002

5. इंडस्ट्रीयल फाईनेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, आई एफ सी आई बिल्डिंग, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019

6. यू टी आई बैंक लिमिटिड, मेकर टावर–एफ, 13वां फ्लोर, कफ पैरेड, कोलाबा, मुम्बई 400005

7. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, यशवंत निवास रोड, इंदौर 452003

8. स्टेट बैंक ऑफ त्रवांकुर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमप्लेक्स, पुजापुरा, त्रिवंदरूम –695012

9. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हर्षा भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली– 110001

10. बैंक ऑफ बडोदा, 3, वालचंद हीराचंद मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुम्बई –400038

11. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, दी मॉल, पटियाला – 147001

12. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटिड, 303–48–3, सदर पटेल रोड, सिकंदराबाद– 500003

13. टूरिजम फाईनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटिड, आई एफ सी आई टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली –110019

14. पी एन बी एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटिड जीवन भारतीय बिल्डिंग, टावर–II , लेवल 3 कनॉट सर्कट, नई दिल्ली–110001

15. मैर्सस एम एस शूज ईस्ट लिमिटिड, 35–बी, पॉकेट एफ जी–1 ब्लॉक एफ, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

आज दिनांक 31 अगस्त 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मोहर के अंतर्गत दिया गया ।

हस्ताक्षर

(अंकित सिंगला)

दिवालिया न्यायाधीश, अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश संरक्षण न्यायाधीश (केन्द्रीय) सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, रूम नं. 12, भूतल, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली

न्यायालय की मोहर

[विज्ञापन ए / II / II / 09 / 2019]

PROCLAMATION UNDER SECTION 37 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920

In the Court of Shri Ankit Singla, Insolvency Judge, Central District, Room No. 12, Tis Hazari Courts, Delhi

Rec Case No. 03/2016

Mrs. Sadhna Sachdeva ---------- Petitioner

Versus

Allahabad Bank & Ors. ---------Respondents

Notice is hereby given that the Petitioner mentioned in column No.2 had applied for adjudging herself as an insolvent against the Respondents mentioned in column No. 3. The aforesaid petitioner was adjudged as an insolvent vide order dated 26.11.2011 passed in the aforesaid petition.

All the loans had been taken by M S Shoes East Ltd. in which the Petitioner had stood as a guarantor/ pledger and was liable as such. During the pendency of the aforesaid petition, the said company has already cleared all the dues towards various banks/ Respondents in one time settlement. Hence, the liability of the Petitioner also stands discharged.

Public at large is hereby informed that an application for annulment of order of adjudicating the Petitioner an insolvent was moved. Accordingly, the order dated 26.11.2011, by which the Petitioner was adjudicated as an insolvent, was annulled vide order dated 07.01.2016 passed in the aforesaid petition.

Any person including the names given below, if wishes to oppose, may appear before this Court either in person or through any pleader on the date already fixed before the Court i.e. 31.10.2019 at 10:00 AM.

1. Suit No.: Rec Case No. 03/2016

2. Name of the Parties:

Mrs. Sadhna Sachdeva, (for Self & also as Proprietor of M/s. Tulips) Wife of Shri Pavan Sachdeva, R/o 35-B, Pocket FG-1, Block-F, Vikaspuri, New Delhi-110018

3. Respondents:

1. Allahabad Bank, 2-Netabji Subhash Road, Calcutta-700001.
2. Canara Bank, 112, J.C. Road, Bangalore-560002 (Karnataka).
3. Industrial Development Bank of India, IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai-400006.
4. Bank of Madura Ltd., 758, Anna Salai, Chennai-60002.
5. Industrial Finance Corporation of India, IFCI Building, 61 Nehru Place, New Delhi-110019.
6. UTI Bank Ltd., Maker Tower, "F", 13th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400005.
7. State Bank of Indore, Yashwant Niwas Road, Indore-452003.
8. State Bank of Travancore, New Administrative Complex, Puzhapura, Trivandrum-6950012.
9. Oriental Bank of Commerce, Harsha Bhawan, "E" Block, Connaught Circus, New Delhi-110001.
10. Bank of Baroda, 3, Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai-400038.
11. State Bank of Patiala, The Mall, Patiala-147001.
12. Global Trust Bank Ltd., 303-48-3, Sardar Patel Road, Secunderabad-500003.
13. Tourism Finance Corporation of India Ltd., IFCI Tower, Nehru Place, New Delhi-110019
14. PNB Asset Management Co. Ltd., Jeevan Bharti Building, Tower-II, Level-3, Connaught Circus, New Delhi-110001.
15. M/s. MS Shoes East Ltd., 35-B, Pocket FG-1, Block-F, Vikaspuri, New Delhi-100018.

Given under my hand and the seal of the Court on this the 31st August, 2019.

Sd/-

(ANKIT SINGLA)

JSCC-ASCS- Guardian Judge, Insolvency Judge, Central District, Room No. 12,

Tis Hazari Courts, Delhi.

Seal of the Court

[ADVT-A/II/II/09/2019]

प्रांतीय दिवालिया अधिनियम 1920 की धारा 37 के अंतर्गत घोषणा
समक्ष न्यायालय श्री अंकित सिंगला, दिवालिया न्यायाधीश, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, रूम नं. 12,
तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली
वसूली वाद नं. 01/2016

श्रीमती उर्मिल सूरी ..... याचिकाकर्ता

विरूद्ध

इलाहाबाद बैंक एवं अन्य..... उतरदातागण

एततद्वारा नोटिस दिया जाता है कि कॉलम नं. 2 में वर्णित याचिकाकर्ता ने स्वंय को कॉलम नं. 3 में वर्णित उतरदातागण के विरूद्ध दिवालिया के रूप में निर्णय करने के लिए आवेदन किया है । उपरोक्त याचिकाकर्ता को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 26.11.2011 के द्वारा दिवालिया के रूप में निधारित किया गया है ।

सभी ऋण राशियां एम एस शूज ईस्ट लिमिटिड द्वारा ली गई थी जिसमें याचिकाकर्ता ने गारंटी दी थी तथा इस प्रकार वह उतरदायी था । उपरोक्त याचिका के लम्बित होने के दौरान उपरोक्त कंपनी ने विभिन्न/उतरदातगण को दी जाने वाली सभी देयताओं का भुगतान एक बार के भुगतान में कर दिया था । अतः याचिकाकर्ता का उतरदायित्व भी समाप्त होता है ।

जनसमूह को एततद्वारा सूचित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को दिवालिया के रूप में घोषित करने वाले आदेश को रदद करने के लिए एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया था । जिसके अनुसार आदेश दिनांकित 26.11.2011 जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दिवालिया घोषित किया गया था को उपरोक्त याचिका में पारित आदेश दिनांकित 07.01.2016 के द्वारा रदद किया गया ।

निम्नलिखित नामों में से कोई भी व्यक्ति, जो विरोध करना चाहता हो, इस माननीय न्यायालय के समक्ष पहले से नियत तिथि यानी 31.10.2019 को सुबह 10 बजे व्यक्तिगत रूप से या प्लीडर के द्वारा उपस्थित हो सकता है ।

1. वाद नं. : वसूली वाद सं. 01/2016

2. पक्षकारों के नाम :

श्रीमती उर्मिल सूरी, पत्नी स्वर्गीय श्री एस एन सूरी, निवासी 35–बी, पॉकेट एफ जी–1, ब्लॉक एफ, विकासपुरी, नई दिल्ली ।

3. उतरदातागण

1. इलाहाबाद बैंक, 2 – नेता जी सुभाष रोड, कलकत्ता 700001

2. केनरा बैंक, 112, जे सी रोड, बैंगलोर 560002 (कर्नाटक)

3. इंडस्ट्रीयल डेवलेपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, आई डी बी आई टावर, कफ पैरेड, मुम्बई –400006

4. बैंक ऑफ मदुरा लिमिटिड, 758, अन्ना सलाई, चैन्नई 60002

5. दी इंडस्ट्रीयल फाईनेंस कोरपोरेशन ऑफ इंडिया, आई एफ सी आई बिल्डिंग, नेहरू प्लेस,नई दिल्ली–110019 ।

6. यू टी आई बैंक लिमिटिड, मेकर टावर एफ, 13वां फ्लोर, कफ पैरेड, कोलाबा, मुम्बई 400005

7. स्टेट बैंक ऑफ इंदोर, यशवंत निवास रोड, इंदौर 452003

8. स्टेट बैंक ऑफ त्रवांकुर, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कॉमप्लेक्स, पुजापुरा, त्रिवंदरूम –695012

9. ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, हर्षा भवन, ई–ब्लॉक, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली– 110001

10. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लिमिटिड, 303–48–3, सदर पटेल रोड, सिकंदराबाद– 500003

11. मैर्सस एम एस शूज ईस्ट लिमिटिड, 35–बी, पॉकेट एफ जी –1, ब्लॉक एफ, विकासपुरी, नई दिल्ली–110018

आज दिनांक 31 अगस्त 2019 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मोहर के अंतर्गत दिया गया ।

हस्ताक्षर

(अंकित सिंगला)

दिवालिया न्यायाधीश, अतिरिक्त वरिष्ठ दीवानी न्यायाधीश, संरक्षण न्यायाधीश (केन्द्रीय) सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट,
रूम नं. 12, भूतल, तीस हजारी कोर्टस, दिल्ली

न्यायालय की मोहर

[विज्ञापन ए/II/II/10/2019]

PROCLAMATION UNDER SECTION 37 OF THE PROVINCIAL INSOLVENCY ACT, 1920

In the Court of Shri Ankit Singla, Insolvency Judge, Central District, Room No. 12, Tis Hazari Courts, Delhi

Rec Case No. 01/2016

Mrs. Urmil Suri ---------- Petitioner

Versus

Allahabad Bank & Ors. ---------Respondents

Notice is hereby given that the Petitioner mentioned in column No.2 had applied for adjudging herself as an insolvent against the Respondents mentioned in column No. 3. The aforesaid petitioner was adjudged as an insolvent vide order dated 26.11.2011 passed in the aforesaid petition.

All the loans had been taken by M S Shoes East Ltd. in which the Petitioner had stood as a guarantor/ pledger and was liable as such. During the pendency of the aforesaid petition, the said company has already cleared all the dues towards various banks/ Respondents in one time settlement. Hence, the liability of the Petitioner also stands discharged.

Public at large is hereby informed that an application for annulment of order of adjudicating the Petitioner an insolvent was moved. Accordingly, the order dated 26.11.2011, by which the Petitioner was adjudicated as an insolvent, was annulled vide order dated 07.01.2016 passed in the aforesaid petition.

Any person including the names given below, if wishes to oppose, may appear before this Court either in person or through any pleader on the date already fixed before the Court i.e. 31.10.2019 at 10:00 AM.

1. Suit No.: Rec Case No. 01/2016

2. Name of the Parties:

Mrs. Urmil Suri, Wife of Late Shri S.N. Suri, R/o 35-B, Pocket FG-1, Block F, Vikaspuri, New Delhi

3. Respondents:

1. Allahabad Bank, 2-Netabji Subhash Road, Calcutta-700001.
2. Canara Bank, 112, J.C. Road, Bangalore-560002 (Karnataka).
3. Industrial Development Bank of India, IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai-400006.
4. Bank of Madura Ltd., 758, Anna Salai, Chennai-60002.
5. The Industrial Finance Corporation of India, IFCI Building, Nehru Place, New Delhi- 110019
6. UTI Bank Limited, Maker Tower, "F", 13th Floor, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai- 400005.
7. State Bank of Indore, Yashwant Niwas Road, Indore-452003.
8. State Bank of Travancore, New Administrative Complex, Puzhapura, Trivandrum- 6950012
9. Oriental Bank of Commerce, Harsha Bhawan, "E" Block, Connaught Circus, New Delhi-110001.
10. Global Trust Bank Ltd., 303-48-3, Sardar Patel Road, Secunderabad-500003.
11. M/s MS Shoed East Ltd., 35-B, Pocket FG-1, Block-F, VikasPuri, New Delhi-1100018

Given under my hand and the seal of the Court on this the 31st August, 2019.

Sd/-

(ANKIT SINGLA)

JSCC-ASCS- Guardian Judge, Insolvency Judge, Central District, Room No. 12,

Tis Hazari Courts, Delhi.

Seal of the Court

[ADVT-A/II/II/10/2019]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.10.05 11:00:44 +05'30'